



2026:AHC:16393

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 2213/2026**

अरमान

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता :- अमित कुमार यादव, करुणेश प्रताप सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता :- जी.ए.

**न्यायालय संख्या - 65**

**माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी**

1. श्री शिवम कुमार एवं आनंद विभोर सिंह, विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि उनका वकालतनामा रजिस्ट्री में पहले ही दाखिल किया जा चुका है। तथापि, सूचनाकर्ता की ओर से आज न्यायालय में दायर प्रति-शपथपत्र अभिलेख पर लिया गया।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पीड़िता बालिग है तथा वह प्रार्थी की विधिवत विवाहित पत्नी है, जो अपने ससुराल में निवास कर रही है। अतः प्रार्थी निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। यह भी आश्वासन दिया गया है कि प्रार्थी विधि की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करेगा, न्यायालय द्वारा जब भी आवश्यक होगा उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाए जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा। आगे यह भी कहा गया है कि प्रार्थी दिनांक 30.06.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
4. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भी यह प्रस्तुत किया कि विवाह संपन्न होने के पश्चात पीड़िता अपने वैवाहिक घर में रह रही है और अब विवाद समाप्त हो चुका है। अतः यदि प्रार्थी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को जमानत पर रिहा किया जाता है तो सूचनाकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है। यह तथ्य प्रति-शपथपत्र के प्रस्तर -2 में भी उल्लिखित है।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का यह कहते हुए विरोध किया कि विचारण से पूर्व चरण में प्रार्थी की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः उसे कोई रियायत प्रदान नहीं की जानी चाहिए। यह भी कहा गया कि यदि प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः समान गतिविधियों में लिप्त हो सकता है और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

6. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलों, साक्ष्य की प्रकृति तथा अन्य संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय का विचार है कि प्रार्थी ने जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

7. अतः, प्रार्थी **अरमान** को मुकदमा अपराध संख्या 197/2025, धारा 137(2), 65(1), 87 बी.एन.एस., तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5एल/6, थाना कैंपियरगंज, जनपद गोरखपुर में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

- i) प्रार्थी अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) प्रार्थी अभियोजन साक्षियों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) प्रार्थी विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा।
- iv) प्रार्थी उस अपराध के समान कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए वह अभियुक्त है या संदेह के अधीन है।
- v) प्रार्थी किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य उजागर करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ हो।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

22 जनवरी, 2026

एस. अली

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।